प्रेस विज्ञप्ति

16/05/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने 15/05/2024 को छत्तीसगढ़ के कस्टम राइस मिलिंग घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। वह कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में स्थित एक चावल मिलर है। वह खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान राज्य राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष थे। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान चावल मिल मालिकों से अवैध रिश्वत वसूली की एक संगठित प्रणाली संचालित की जा रही थी।

ईडी ने आईटी जांच विंग, रायपुर द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के खुलासे के आधार पर जाँच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य चावल मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ लिमिटेड (मार्कफेड) के अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और विशेष प्रोत्साहन के दुरुपयोग की साजिश रची और करोड़ों रुपये की रिश्वत अर्जित की। खरीफ वर्ष 2021-22 तक धान की कस्टम मिलिंग के लिए चावल मिलर्स को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से रुपये 40/- का विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया गया और बाद में, इसे अत्यधिक बढ़ाकर रुपये 120/- प्रति क्विंटल धान कर दिया गया जिसका भुगतान दो किश्तों में किया गया रुपये 60/- प्रत्येक। छत्तीसगढ़ राज्य राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कोषाध्यक्ष श्री रोशन चंद्राकर के नेतृत्व में चावल मिलर्स से प्रत्येक क्विंटल धान की मिलिंग के लिए रुपये 20/- प्रति किस्त रिश्वत की रकम वसूलना शुरू कर दिया। जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा संबंधित जिला विपणन अधिकारी (डीएमओ) को नकद राशि का भुगतान करने वाले चावल मिलर्स का विवरण भेजा गया था। चावल मिलर्स के बिल प्राप्त होने पर डीएमओ ने संबंधित जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन से प्राप्त विवरण की जाँच की; इसके बाद यह जानकारी मार्कफेड के मुख्य कार्यालय को दे दी गई। मार्कफेड एमडी द्वारा केवल उन्हीं राइस मिलर्स के बिलों को भुगतान के लिए मंजूरी दी गई, जिन्होंने एसोसिएशन को नकद राशि का भुगतान किया था।

जिला चावल मिलर्स एसोसिएशन चावल मिलर्स से अवैध रिश्वत राशि एकत्र करते थे और उसे रोशन चंद्राकर या उसके व्यक्तियों को सौंपते थे। ईडी की जाँच से पता चला है कि विशेष प्रोत्साहन को 40/- रुपये से बढ़ाकर 120/- रुपये प्रति क्विंटल करने के बाद, 100 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत उत्पन्न की गई थी, जिसे रोशन चंद्राकर द्वारा आयोजित और सुविधाजनक बनाया गया था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।